चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता/3531
दिनांक : 27-11-2025

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः–चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध संस्थानों द्वारा डिग्री और अंकतालिका वितरण के नाम पर अवैध शुल्क वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

श्री आदित्य चौधरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इण्डिया स्टूडेंटस यूनियन द्वारा मा0 राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र प्रेषित करते हुए सूचित किया गया है कि विभिन्न संस्थानों द्वारा डिग्री व अंकतालिका वितरण के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। मा0 राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर विश्वविद्यालय स्तर से परिक्षणोपरान्त यथेष्ट कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। राज्यपाल सचिवालय के निर्देशों के आलोक में समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे डिग्री व अंकतालिका वितरण के नाम पर अवैध शुल्क वसूली किसी भी दशा में न करे। यदि किसी भी संस्थान के विरूद्ध अवैध शुल्क वसूली के संदर्भ में शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा।

भवदीय,
21.11.25
कुलसचिव

20/11/25

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. प्रवेश प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव